सं० फा० 1(12)-ई-III(बी)/68

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 26th सितम्बर, 1970

कार्यालय ज्ञापन

विषय : एशियाई विकास बैंक में विदेश सेवा पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति - बैंक की कर्मचारी सेवा-निवृत्ति-योजना में भाग लेना

मुझे, इस मंत्रालय के दिनांक 28 मई 1970 के कार्यालय ज्ञापन सं० फा० 1(18)-ई-III/बी/69 की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है जिसके अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं तथा केन्द्रीय सेवाओं के जो अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/ अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक में विदेश सेवा पर प्रतिनियुक्त हैं, उनको इस मंत्रालय के 5 नवम्बर 1966 के कार्यालय ज्ञापन सं० फा० 1(16)-ई-III/बी/66 में निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुये, पूर्ण सदस्य के रूप में इन संगठनों की कर्मचारी-सेवा-निवृत्ति योजना में भाग लेने का विकल्प प्राप्त है। राष्ट्रपति जी ने अब निर्णय किया है कि एशियाई विकास बैंक में विदेश सेवा पर प्रतिनियुक्त अखिल भारतीय सेवाओं तथा केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों को भी उक्त बैंक की कर्मचारी-सेवा-निवृत्ति-योजना में उन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुये, पूर्ण-सदस्य के रूप में भाग लेने का विकल्प प्राप्त होगा जो इस मंत्रालय की दिनांक 5 नवंबर 1966 के कार्यालय ज्ञापन सं० फा० 1(16)-ई-III/बी/66 में निर्धारित हैं।

2. जहां तक भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों का सम्बन्ध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श करके जारी किये गये हैं।

कृपा सिंह

(कृपा सिंह)

उप सचिव, भारत सरकार

कृ० पृ० उ०

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय आदि ।

प्रतिलिपियां निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक आदि ।
2. संघ लोक सेवा आयोग ।
3. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ।
4. लोक सभा सचिवालय ।
5. राज्य सभा सचिवालय ।
6. भारत का सर्वोच्च न्यायालय
7. वेतन-आयोग सेल ।

"जाजासा"